बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

(सूचना का अधिकार)

पत्र सं.- 31/सू.अ.-138(वा.प्र.)/2026

प्रेषक,

बलिराम प्रसाद,
उप सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, पटना ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यां. सहित)-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार,
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

/ पटना, दिनांक-

विषय :- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (1) एवं धारा-25(2) के तहत् वित्तीय वर्ष-2025-26 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के संबंध में।**

प्रसंग :- **बिहार सूचना आयोग, बिहार, पटना का पत्रांक- 391 दिनांक- 24.06.2026.**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (1) एवं धारा-25(2) के तहत् वित्तीय वर्ष-2025-26 का वार्षिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में बिहार सूचना आयोग, पटना को भेजा जाना है।

अत: अनुरोध है कि अपने कार्यालय तथा अधीनस्थ लोक सूचना पदाधिकारियों से विहित प्रपत्र में वित्तीय वर्ष-2025-26 का वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त कर अपने स्तर से संकलित एवं समेकित कर उसकी हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी उप सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि इसे मुख्यालय स्तर पर समेकित करते हुए जल संसाधन विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन बिहार सूचना आयोग, बिहार, पटना को भेजा जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वित्तीय वर्ष-2025-26 का वार्षिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में विशेष दूत/ डाक/ ई-मेल आई.डी.- **wrd.pio20@gmail.com** पर उप सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को पत्र प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनु.-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(बलिराम प्रसाद)
उप सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 875 (सू०अ०) पटना, दिनांक- 14-07-2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई.टी., WRD सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

13/7/26

(बलिराम प्रसाद)
उप सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, पटना।

बिहार सूचना आयोग
सूचना भवन, चतुर्थ तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिहार, पटना–800015।
दूरभाष–2215713, 2235059, फैक्स–2235466

पत्रांक– / बि0सू0आ0–02–05 / 2026..391.... पटना, दिनांक..24/06/2026

सेवा में,

मुख्य सचिव, बिहार।
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना।
महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना।
सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव–सभी विभाग।
महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय।
सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
कुल सचिव, सभी विश्वविद्यालय।

विषय– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 (1) एवं धारा–25(2) के तहत बिहार सूचना आयोग में वर्ष 2025–26 का वार्षिक प्रतिवेदन हेतु धारा–25 (1) एवं धारा–25(2) के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 (1) के तहत बिहार सूचना आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष उपस्थापन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना एक वैधानिक अनिवार्यता है। अधिनियम की धारा–25 (2) के तहत प्रत्येक विभाग का यह वैधानिक कर्त्तव्य है कि उनके अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानानुसार सूचनाओं को संकलित कर उसे बिहार सूचना आयोग को उपलब्ध कराए ताकि अधिनियम के प्रावधानों द्वारा वांछित अपेक्षाओं को पूर्ति हो सके।

2. उल्लिखित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि अपने–अपने विभागों के अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों से वर्ष 2025–26 (**संलग्न विहित प्रपत्र में प्राप्त कर**) से संबंधित वांछित सूचनाओं को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में संबंधित लोक प्राधिकारों एवं उनके प्रधान पदाधिकारी का नाम आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।

3. इस क्रम में यह भी कहना है कि प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा अपने जिले के सभी अधीनस्थ लोक प्राधिकारों पंचायती राज संस्थानों सहित, के संबंध में तथा सभी प्रमंडलायुक्त द्वारा अपने प्रमंडलाधीन जिलों से संबंधित प्रतिवेदनों को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

24/6/2026
(डॉ0 संजय कुमार)
संयुक्त सचिव

अनुलग्नक :– प्रपत्र–1 (लोक सूचना पदाधिकारी के लिए), प्रपत्र–2 (प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के लिए)

varun anual report 16-17,17-18 letter

सचिव
जल संसाधन विभाग
डायरी सं० 6046
दिनांक 03/07/26
विशेष सचिव, कोषांग
डायरी सं० 1552
दिनांक 01/07/26
जल संसाधन विभाग
बिहार, पटना

लोक सूचना पदाधिकारी से संबंधित प्रतिवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र–1

कम संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 में लो0सू0पदा0 के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	कितने मामलों में राज्य सूचना आयोग द्वारा लो0सू0पदा0 पर आर्थिक दण्ड तथा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी उनकी संख्या	आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड की कुल राशि	वसुली की गयी कुल राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यालय स्तर पर लोक सूचना पदाधिकारी										
2	क्षेत्रीय कार्यालयों के लोक सूचना पदाधिकारी										
3	निदेशालय										
4	निगम										
5	बोर्ड										
6	प्राधिकार										
7	निकाय										
8	अन्य										
9	कुल योग										

टिप्पणीः– (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।
(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम 3 (च) एवं (छ) में विहित् प्रावधानों के तहत् विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत् किसी अधिकारी के विरूद्ध किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0डी0 फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

प्रथम अपीलीय प्राधिकार से संबंधित प्रतिवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र–2

कम संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम अपीलीय पदा0 के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	अभ्युक्ति
1	मुख्यालय स्तर पर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी							
2	क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी							
3	निदेशालय							
4	निगम							
5	बोर्ड							
6	प्राधिकार							
7	निकाय							
8	अन्य							
9	कुल योग							

टिप्पणी:– (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम 3 (च) एवं (छ) में विहित् प्रावधानों के तहत् विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत् किसी अधिकारी के विरूद्ध किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0डी0 फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।